राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (P–240) अलेसे–I/1057 दिनांकः– 21/12/17

कार्यालय आदेश

श्री पूरणदास बलाई, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (लिंक नं0–4830) मुख्यालय–निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर को निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आदेश संख्या 1280 दिनांक 18.10.2017 के द्वारा निलम्बित किया जाकर मुख्यालय इस निदेशालय में किया गया था तथा पत्र कमांक 1325 दिनांक 31.10.2017 के द्वारा श्री बलाई के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी, जो विभागीय स्तर पर विचाराधीन है। इस कम में विभागीय पत्र कमांक 1017 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा कोषाधिकारी, जयपुर (ग्रामीण) को प्रारम्भिक जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है। चूंकि श्री बलाई के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं प्रारम्भिक जांच लम्बित है, फलस्वरूप कार्मिक विभाग के दिशा–निर्देशानुसार श्री बलाई को लम्बे समय तक निलम्बित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री बलाई को तुरंत प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए इनका पदस्थापन निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर (1000363) में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के रिक्त पद पर एतद् द्वारा किया जाता है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (P–240) अलेसे–I/1057 दिनांकः– 21/12/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)।
4. श्री पूरणदास बलाई, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालग हाजा।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।

(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)